



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी  
प्रेस-नोट

दिनांक:-05-03-2025

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत अभियुक्त पप्पू सोनकर को उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास एक्ट के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा न्यायालय उठने तक की सजा व कुल- 01 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना-सिगरा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 406/2011 धारा- 26(क)(1) उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त पप्पू सोनकर पुत्र मिठाईलाल निवासी- दुल्हीपुर सतपोखरी थाना- मुगलसराय जनपद- चन्दौली को थाना-सिगरा पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 05-03-2025 को मा0 न्यायालय JM-2 जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को धारा- 26 (क) (1) उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास एक्ट में न्यायालय उठने तक की सजा व 01 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी  
कमिश्नरेट-वाराणसी